प्रारंभिक परीक्षा

नासा का अंतरिक्ष यान किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य के अधिक निकट पहुंचा

संदर्भ

नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने पहले कभी किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य के सबसे करीब से गुजरकर इतिहास रच दिया है। 24 दिसंबर 2024 को, पार्कर सोलर प्रोब सतह से 6.1 मिलियन किमी (0.04 एयू) की दूरी पर आकर, सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया।

पार्कर प्रोब के बारे में -

- **पार्कर प्रोब नासा के "लिविंग विद-ए-स्टार" कार्यक्रम का हिस्सा है।**
- **मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य:** सौर रहस्यों को उजागर करना
    - **कोरोना का तापमान:** यह जांच करना कि सूर्य का कोरोना उसकी सतह (~5,500 °C) की तुलना में अधिक गर्म (1-2 मिलियन °C) क्यों है।
    - **सौर पवन की उत्पत्ति:** यह समझना कि आवेशित कणों का सतत प्रवाह किस प्रकार बनता और विकसित होता है।
    - **कोरोनल मास इजेक्शन (CME):** अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले प्लाज्मा बादलों के निर्माण का अध्ययन।
- **मिशन का कालक्रम:**
    - **प्रक्षेपण:** 12 अगस्त 2018, डेल्टा IV हेवी रॉकेट द्वारा।
    - **अवधि:** सात वर्ष, सूर्य के क्रमशः निकटतर कक्षाओं के साथ।
- **यह अंतरिक्ष यान सूर्य के अब तक का सबसे निकटतम कृत्रिम वस्तु बन गया है।** यह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके इसे एक सख्त कक्षा में ले जाने के लिए शुक्र के पार उड़ते हुए, धीरे-धीरे सूर्य के करीब चक्कर लगा रहा है।
- **मुख्य विशिष्टताएँ:**
    - **गति:** 6,90,000 किमी/घंटा तक (नई दिल्ली से चेन्नई तक लगभग 10 सेकंड में यात्रा करने के लिए पर्याप्त तेज़)।
    - **हीट शील्ड:** 4.5 इंच मोटी कार्बन-कम्पोजिट शील्ड इसके उपकरणों को 1,377 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से बचाती है, जिससे वे 29 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहते हैं। सौर शील्ड को अंतरिक्ष यान के सूर्य की ओर वाले हिस्से पर रखा गया है।
    - **शीतलन प्रणाली:** गर्मी को अवशोषित करने और विकीर्ण करने के लिए एक गैलन पानी प्रसारित करती है।

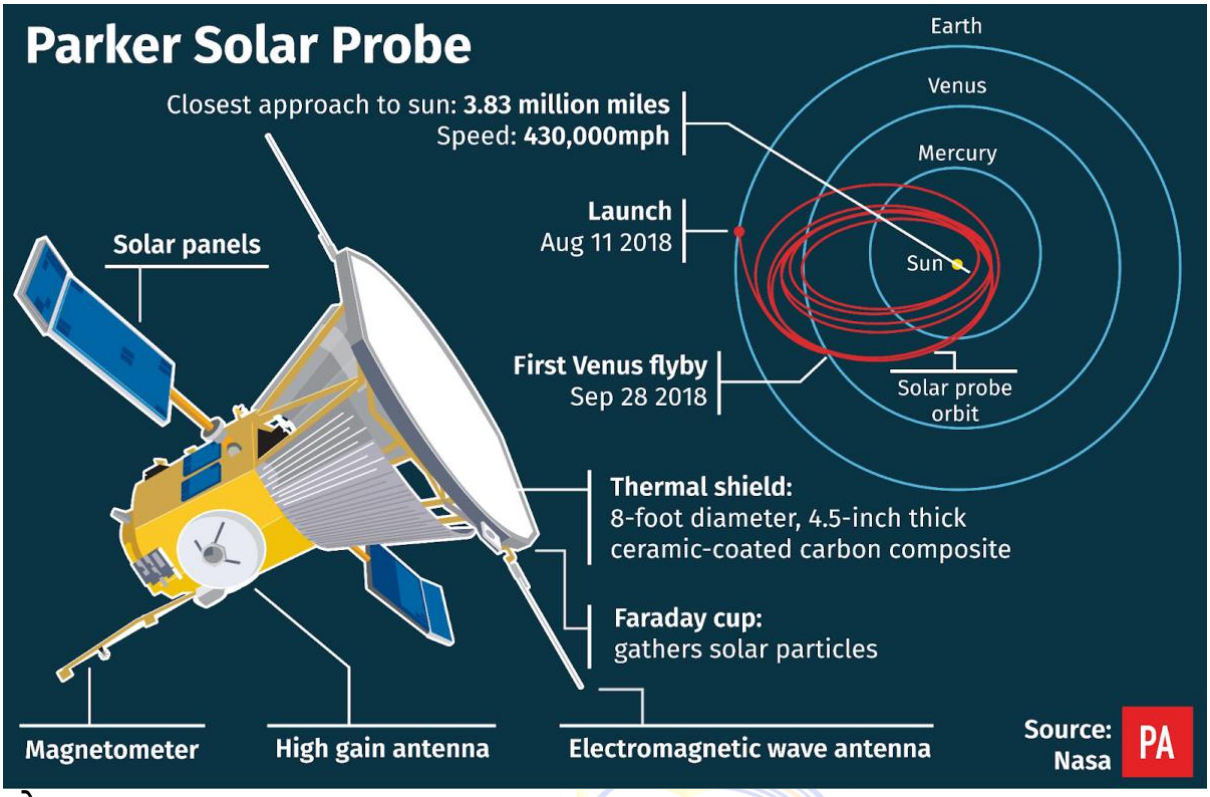

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के अब तक के सबसे करीब पहुंचा]

NCW ने तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न की जांच शुरू की

संदर्भ

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अन्ना विश्वविद्यालय परिसर (चेन्नई) में एक इंजीनियरिंग छात्रा पर यौन उत्पीड़न की जांच के लिए दो सदस्यीय तथ्य-खोज समिति का गठन किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के बारे में -

- **NCW एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए की गई थी।**
    - यह महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और समाधान करने तथा इन अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
- **संघटन;**
    - **अध्यक्ष**
    - **5 सदस्य** (एससी/एसटी से कम से कम 1 सदस्य)
    - **सदस्य सचिव**
- नियुक्ति और निष्कासन दोनों केन्द्रीय सरकार द्वारा।
- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करतें है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(f) के तहत NCW **उन मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है** जहां:
    - महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन/वंचना हो।
    - महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न होना।
    - कठिनाइयों को कम करने और महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का अनुपालन न करना।
    - प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया या आयोग द्वारा प्राप्त किसी अन्य जानकारी के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया जा सकता है।

स्रोत:

- द हिंदू - NCW ने तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न की जांच शुरू की

संसद के दोनों सदनों में निजी सदस्यों के विधेयकों को कम महत्व दिया गया

संदर्भ

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, 2024 में समाप्त होने वाले 17वीं लोकसभा के पांच साल के कार्यकाल के दौरान, निजी सदस्यों के विधेयकों पर केवल 9.08 घंटे खर्च किए गए, जबकि राज्यसभा ने इस अवधि के दौरान उन पर 27.01 घंटे खर्च किए।

निजी सदस्य विधेयक के बारे में -

- **यह संसद में किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधायी प्रस्ताव है जो सरकार का हिस्सा नहीं होता है, जो इसे मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत सरकारी विधेयकों से अलग करता है।**
- किसी निजी सदस्य के विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए **एक महीने पूर्व सूचना देना आवश्यक है।**
    - सार्वजनिक विधेयक के मामले में, प्रस्तुत करने से पहले केवल 7 दिन की अग्रिम सूचना देनी होगी।
- निजी सदस्य विधेयक पर चर्चा के लिए **हर शुक्रवार को और दोपहर की बैठक में समय निर्धारित किया जाता है।**
- एक निजी सदस्य **संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक ला सकता है** लेकिन वह **धन विधेयक नहीं ला सकता।**
- निजी सदस्य अधिकतम **तीन बार निजी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।**
- सदन द्वारा किसी निजी विधेयक को अस्वीकृत करने से **सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।**
- इसके अलावा **विधेयक का मसौदा तैयार करना भी संबंधित सदस्य** की जिम्मेदारी है।

तथ्य

- केवल **14 निजी विधेयक** दोनों सदनों द्वारा पारित होकर कानून बने हैं।
- **मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 संसद में पारित होने वाला पहला निजी सदस्य विधेयक** था।
- **1970 के बाद से संसद द्वारा कोई भी निजी विधेयक पारित नहीं किया गया है।**

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2017)

1. निजी सदस्य विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो निर्वाचित नहीं होता बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है।
2. हाल ही में भारतीय संसद में इतिहास में पहली बार कोई निजी विधेयक पारित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (**d**)

स्रोत:

- द हिन्दू - संसद के दोनों सदनों में निजी सदस्यों के विधेयकों को कम महत्व दिया गया

भारतीय और H1B वीज़ा

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका में कुशल प्रवास के लिए महत्वपूर्ण H1B वीज़ा कार्यक्रम, डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों के बीच विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

H1B वीज़ा के बारे में -

- **यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वीज़ा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट व्यवसायों में उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियोजित करने की अनुमति देता है।**
- इसकी **स्थापना 1990 में** नियोक्ताओं को कौशल की कमी को दूर करने में मदद करने के लिए की गई थी, जिसे घरेलू कार्यबल द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था।
- **विशिष्ट व्यवसाय:** यह एक ऐसी नौकरी को संदर्भित करता है जिसके लिए विशिष्ट कौशल और शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है।
    - **शैक्षिक आवश्यकता:** अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में कम से कम स्नातक डिग्री या उच्चतर।
    - **विशिष्ट ज्ञान:** किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता जैसे- आईटी विशेषज्ञ, इंजीनियर, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आदि।
- **पात्रता एवं सीमाएँ:**
    - 6 साल तक के लिए वैध (शुरुआत में 3 साल के लिए जारी किया गया और अगले तीन साल के लिए नवीकरणीय)।
    - कर्मचारियों को या तो 6 साल के बाद अमेरिका छोड़ना होगा या स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन करना होगा।
    - **वार्षिक सीमा:** नियमित सीमा के तहत 65,000 वीज़ा। अमेरिकी विश्वविद्यालयों से उन्नत डिग्री वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा।
- **देश के अनुसार लाभार्थी:**
    - **H1B कार्यक्रम में भारतीयों का वर्चस्व है, जो 2015 से प्रतिवर्ष सभी स्वीकृतियों में 70% से अधिक का योगदान देता है।**
    - चीनी नागरिक दूसरे स्थान पर हैं, जो 2018 से अब तक स्वीकृतियों का 12-13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

How many H-1B petitions are being approved? For whom?

CHART 1: NUMBER OF H-1B PETITIONS APPROVED BY USCIS (2003-23)

CHART 2: BIRTH COUNTRY OF SUCCESSFUL PETITIONERS

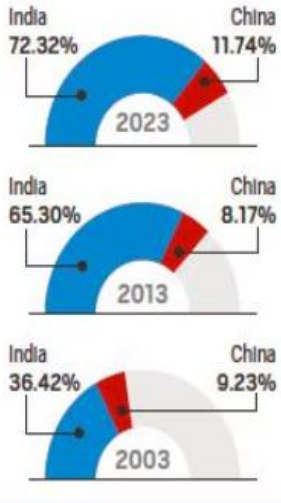

CHART 3: %AGE OF INDIA-BORN BENEFICIARIES (FY 2023)

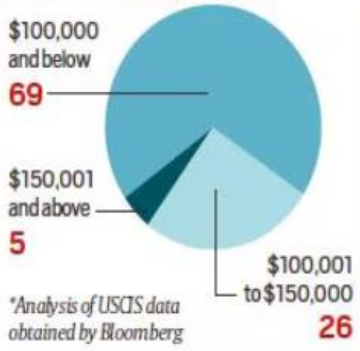

**Analysis of USCIS data obtained by Bloomberg*

Source: US Citizenship and Immigration Services (USCIS), Department of Homeland Security

- 65% of H-1B petitions approved in 2023 were for "Computer Related" occupations.
- Consequently, the biggest employers onboarding foreign professionals under the program included the largest tech corporations in the US (and world), including the top four Indian IT majors with a US presence in the US — Infosys, TCS, HCL, and Wipro.

TABLE: BENEFICIARIES BY EMPLOYER (FY 24)

Employer (petitioner)	H-1B beneficiaries (approved numbers)	Share (%) in top 10
Amazon.com	9,265	17.3
Infosys	8,140	15.2
Cognizant	6,321	11.8
Google	5,364	10.0
TCS	5,274	9.8
Meta platforms	4,844	9.0
Microsoft	4,725	8.8
Apple	3,873	7.2
Hcl america	2,953	5.5
IBM	2,906	5.4
TOTAL	53,665	100.0

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - भारतीय और H1B वीज़ा]

स्वर्ण ऋण के NPA में 30% की बढ़ोतरी

संदर्भ

आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के बीच स्वर्ण ऋण में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

स्वर्ण ऋण NPA पर मुख्य आंकड़े -

- **कुल NPA**: जून 2024 तक 30% बढ़कर **₹**6,696 करोड़ हो गया, जो मार्च 2024 में **₹**5,149 करोड़ था।
- **वाणिज्यिक बैंक:** NPA मार्च 2024 में ₹1,513 करोड़ से जून 2024 तक 62**%** बढ़कर ₹2,445 करोड़ हो गया।
- **NBFC:** NPA मार्च 2024 में ₹3,636 करोड़ से जून 2024 तक 24% बढ़कर ₹4,251 करोड़ हो गया।
- **स्वर्ण ऋण वृद्धि:** वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्वर्ण ऋण वृद्धि 14.6% रही, जो पिछले वर्षों की तुलना में धीमी वृद्धि को दर्शाती है।

स्वर्ण ऋण डिफॉल्ट होने के पीछे कारण -

- **बढ़ती ऋणग्रस्तता:** धीमी होती अर्थव्यवस्था ने आय के स्तर को प्रभावित किया है, जिससे उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता कम हो गई है।
- **सोने की ऊंची कीमतें:**
    - सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को घरेलू जरूरतों, शिक्षा शुल्क और चिकित्सा बिलों जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए सोना गिरवी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
    - ऋण लेने वाले प्रायः ऋण की राशि सोने के क्रय मूल्य से अधिक होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते, जिससे उनके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है।
- **आरबीआई द्वारा ऋण खंड में चिन्हित की गई कमियां:**
    - ऋण-से-मूल्य (LTV) अनुपात की कमजोर निगरानी।
    - जोखिम भार का गलत अनुप्रयोग।
    - सोने की नीलामी में पारदर्शिता का अभाव।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA)

- **यह एक ऋण या अग्रिम है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया रहता है।**
- **वर्गीकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार):**
    - **अवमानक परिसंपत्तियाँ**: वे परिसंपत्तियाँ जो **12 महीने या उससे कम अवधि तक NPA बनी रही हो**।
    - **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ**: वह परिसंपत्ति जो **12 महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में बनी रही हो।**
    - **हानि वाली परिसंपत्तियां:** इसे "**असंग्रहणीय" या इतने कम मूल्य का माना जाता है** कि बैंक योग्य परिसंपत्ति के रूप में इसे जारी रखना उचित नहीं है, हालांकि इसमें कुछ वसूली मूल्य हो सकता है।
- **किसी भी बैंक की NPA स्थिति को समझने में हमारी मदद करने वाले मीट्रिक्स:**
    - **सकल NPA:** यह बैंकों के कुल NPA को संदर्भित करता है।
    - **शुद्ध NPA:** शुद्ध NPA की गणना सकल NPA-प्रावधान राशि के रूप में की जाती है।
        - **अर्थात्** शुद्ध NPA बैंक द्वारा इसके लिए विशिष्ट प्रावधान करने के बाद NPA का सटीक मूल्य बताता है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - स्वर्ण ऋण NPA में 30% की वृद्धि

गुड गवर्नेंस इंडेक्स

संदर्भ

केंद्र सरकार ने इस वर्ष के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023(GGI) जारी न करने का निर्णय लिया है, इसके बजाय इसका अगला संस्करण 2025 में प्रकाशित किया जाएगा।

गुड गवर्नेंस इंडेक्स (GGI) के बारे में -

- **GGI सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक ढांचा है जो राज्यों/जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है और एक तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है।**
- यह **2019 में शुरू** किया गया एक **द्विवार्षिक अभ्यास है।**
- **द्वारा तैयार**: प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
- GGI कृषि, वाणिज्य, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि सहित 10 क्षेत्रों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
- **पिछला GGI सूचकांक 2021 में जारी किया गया था, जिसमें गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया था।**

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 जारी करने को रद्द किया

केंद्र ने पनडुब्बियों के लिए AIP और टॉरपीडो के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ

रक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों की क्षमताओं को उन्नत करने के लिए दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉरपीडो (EHWT) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाएगा।

एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) मॉड्यूल और EHWT के बारे में -

- **AIP** एक ऐसी तकनीक है जो गैर-परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बिना संचालित करने की अनुमति देती है। यह पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी में रहने की अनुमति देता है, जिससे उनकी गुप्त क्षमताओं में सुधार होता है।
- इसे **DRDO** द्वारा विकसित किया गया है।
- **कार्यप्रणाली: AIP** प्रणालियां ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टारपीडो (EHWT) -

- इसे **DRDO** द्वारा उन्नत स्ट्राइक क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्कॉर्पीन बेड़े में परिचालन संबंधी कमियों को दूर करेगा, जिससे बेहतर आक्रामक और रक्षात्मक रणनीति सुनिश्चित होगी।

स्रोत:

- द हिंदू - केंद्र ने AIP, पनडुब्बियों के लिए टॉरपीडो के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

संपादकीय सारांश

रोहिंग्या के प्रति भारत के दायित्व

संदर्भ

आज़ादी प्रोजेक्ट और रिफ्यूजी इंटरनेशनल के एक संयुक्त अध्ययन में भारत में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ संवैधानिक और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया है।

रोहिंग्या शरणार्थी कौन हैं?

- **रोहिंग्या ज्यादातर मुस्लिम जातीय समूह हैं जो सदियों से बौद्ध-बहुल म्यांमार में रहते हैं।**
- नरसंहार हिंसा के कारण म्यांमार से भाग गए।
- हालाँकि, म्यांमार उन्हें एक आधिकारिक जातीय समूह के रूप में मान्यता नहीं देता है, जिससे वे दुनिया में सबसे बड़ा पहचाने जाने वाला राज्यविहीन समुदाय बन जाते हैं।
- **रोहिंग्या जनसंख्या:** विश्व स्तर पर ~2.8 मिलियन।
    - भारत में ~22,500 (UNHCR अनुमान)।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थियों के अधिकार

- **1951 शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल**: गैर-वापसी का सिद्धांत व्यक्तियों को उन स्थानों पर लौटने से रोकता है जहां उन्हें उत्पीड़न या गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ता है।
    - इसे प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हस्ताक्षरकर्ता न होने वाले राज्यों पर भी बाध्यकारी है।
    - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और UNHCR द्वारा पुष्टि की गई है कि गैर-वापसी पूर्ण है।
- **अन्य प्रमुख संधियाँ**:
    - **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR)**: अनुच्छेद 7 स्पष्ट रूप से गैर-वापसी को बरकरार रखता है।
    - **बाल अधिकार सम्मेलन(CRC)** और **सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD)**: भारत द्वारा अनुसमर्थित, ये गैर-वापसी दायित्वों को सुदृढ़ करते हैं।

रोहिंग्या शरणार्थियों पर भारत का रुख

घरेलू कानूनी ढांचा

- **भारत शरणार्थी सम्मेलन, उसके प्रोटोकॉल या यातना विरोधी सम्मेलन जैसी प्रमुख संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।**
- विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 जैसे घरेलू कानून रोहिंग्या शरणार्थियों को "अवैध प्रवासी" कहते हैं।
- सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए शरण प्रदान करने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं होने का दावा करती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- **2021**: मोहम्मद सलीमुल्लाह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 170 रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने की अनुमति दी।
- **2024**: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिंग्या बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिला देने की याचिका को खारिज कर दिया, और कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

- **प्रासंगिक संधियाँ**:
  - भारत ICCPR, CRC और ICERD का पक्षकार है, जो गैर-वापसी को लागू करते हैं।
  - यातना के विरुद्ध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की, जिससे इसके प्रावधान गैर-बाध्यकारी हो गए, लेकिन यह भारत की प्रतिबद्धता का संकेत है।
- **न्यायिक व्याख्याएं**:
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997; नालसा बनाम भारत संघ, 2014) घरेलू कानून के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुप्रयोग की पुष्टि करते हैं।
  - उच्च न्यायालयों (जैसे, केटर अब्बास हबीब अल कुतैफी बनाम भारत संघ, गुजरात एचसी, 1998; डोंग लियान खाम बनाम भारत संघ, दिल्ली एचसी, 2015) ने गैर-वापसी को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के भाग के रूप में व्याख्यायित किया।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **शरणार्थियों के प्रति असमान व्यवहार:** शरणार्थी नीति में मानकीकरण का अभाव है, जो भू-राजनीतिक हितों से प्रेरित है।
  - जबकि तिब्बती, श्रीलंकाई और अफगान शरणार्थियों को कानूनी सहायता और दीर्घकालिक वीज़ा प्राप्त होते हैं, अधिकांश रोहिंग्या को UNHCR पंजीकरण के बावजूद हिरासत और आपराधिक कारावास का सामना करना पड़ता है।
- **बहिष्करण नीतियां**
  - **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019**: रोहिंग्या जैसे सताए गए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इसके प्रावधानों से बाहर रखा गया है।
- **कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव:** निरस्त एफसीआरए लाइसेंस के कारण नागरिक समाज समूहों को वित्तपोषण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हिरासत में लिए गए शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है।
  - सरकारी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के डर से वकील रोहिंग्या मामलों को लेने से हिचकिचा रहे हैं ।
- **अमानवीय जीवन स्थितियां:** हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने असम राज्य विधिक सेवाओं को निर्देश दिया कि वे हिरासत केंद्रों में रहने की स्थितियों का निरीक्षण करें, क्योंकि मटिया ट्रांजिट कैंप जैसे हिरासत केंद्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाले और अस्वास्थ्यकर हैं।

- रोहिंग्या शरणार्थियों की गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी घटिया परिस्थितियों में हिरासत में रखे गए लोगों में शामिल हैं।

स्रोत: [द हिंदू: रोहिंग्या के प्रति भारत के दायित्वों पर]

शेख हसीना की प्रत्यर्पण मांग, भारत के विकल्प

संदर्भ

बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से भारत से बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- बांग्लादेश ने शेख हसीना के शासनकाल के दौरान राज्य प्रायोजित हिंसा और हत्याओं सहित उनके कथित अपराधों के लिए घरेलू कार्यवाही शुरू की है।
- बांग्लादेश ICC के रोम संविधि का एक पक्ष है, जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों के बारे में चिंता होने पर ICC को भी इसमें शामिल कर सकता है।

प्रत्यर्पण के लिए कानूनी ढांचा

- **द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि (2013):** भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है।
    - इसमें उन नियमों व शर्तों का उल्लेख है जिनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को दो देशों के बीच प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
- **भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962:** यह अधिनियम भारत में नागरिकों और गैर-नागरिकों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
    - प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रियात्मक और मूलभूत आवश्यकताओं को स्थापित करता है, जिसमें वे बचाव भी शामिल हैं जिनका उपयोग अनुरोध प्राप्त करने वाला राज्य प्रत्यर्पण को अस्वीकार करने के लिए कर सकता है।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21:** भारतीय क्षेत्र में गैर-नागरिकों को भी संरक्षण प्रदान करना।
    - अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसका प्रयोग यातना, अनुचित सुनवाई या अमानवीय व्यवहार के जोखिम वाले मामलों में प्रत्यर्पण को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है।
    - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996)** जैसे मामलों में यह स्थापित किया गया था कि गैर-नागरिक भी भारतीय कानून के तहत अधिकारों का दावा कर सकते हैं।
- **ऑट डेडेरे ऑट ज्यूडिकेयर का सिद्धांत:** राज्यों को गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों (जैसे, नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध) के आरोपी व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए बाध्य करता है।
    - प्रत्यक्ष संधि दायित्वों के अभाव में भारत के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (बांग्लादेश) की धारा-339B:** अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है, जो प्रासंगिक हो सकती है यदि शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं किया गया हो, लेकिन वह दूर से सुनवाई में भाग लेती हैं।

ICC की भूमिका और पूरक क्षेत्राधिकार

- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):** ICC एक अंतिम न्यायालय है जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
    - यह राष्ट्रीय न्यायक्षेत्रों का स्थान लेने के बजाय उनमें पूरक का कार्य करता है, तथा केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब राज्य ऐसे अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हो।
    - **अनुच्छेद 17**: यह बताता है कि यदि घरेलू कानूनी प्रणाली सक्रिय रूप से और प्रभावी रूप से मामले की जांच या अभियोजन कर रही है तो ICC अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा।

    - यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमे चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय न्यायालयों की हो।
- **संभावित ICC हस्तक्षेप परिदृश्य:**
    - **अनुच्छेद 53**: यदि ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू कानूनी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष या न्यायोचित नहीं है, तो ICC हस्तक्षेप कर सकता है।
    - **अनुच्छेद 15**: ICC अभियोजक को यह आकलन करने के लिए कि कोई मामला ICC के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, अपनी स्वयं की पहल पर प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति देता है।
    - **अनुच्छेद 14**: कोई राज्य पक्ष (जैसे, बांग्लादेश) किसी मामले को ICC को संदर्भित कर सकता है यदि उसे लगता है कि वह घरेलू स्तर पर मामले को निष्पक्ष या प्रभावी ढंग से नहीं चला सकता है।

चिंताएं और सिफारिशें

- **प्रत्यर्पण का जोखिम**: बांग्लादेश की जेल की स्थितियों और यातना का रिकॉर्ड सुश्री हसीना की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करता है।
    - भावनात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से भारत-बांग्लादेश संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है।
- **इन-हाउस अरेस्ट का प्रस्ताव**: भारत हसीना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मुकदमे में भाग लेने के दौरान इन-हाउस अरेस्ट में रहने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है।
    - इस दृष्टिकोण से:
        - बांग्लादेश की न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
        - भारतीय प्राधिकारियों को साक्ष्य जुटाने और बांग्लादेशी एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अनुमति देना।

स्रोत: [द हिंदू: शेख हसीना प्रत्यर्पण की मांग, भारत के विकल्प]

भारत में गैर-मानक गुणवत्ता(NSQ) वाली दवाओं के मुद्दे को संबोधित करना

संदर्भ

भारत में गैर-मानक गुणवत्ता (Not of Standard Quality - NSQ) वाली दवाओं से संबंधित हाल की घटनाओं ने दवा सुरक्षा और नियामक प्रथाओं के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।

हाल ही में घटित घटना क्या थी?

- कर्नाटक के बल्लारी जिले में पांच युवा माताओं की कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की एक दवा कंपनी द्वारा निर्मित दूषित दवाओं के कारण मृत्यु हो गई।

वर्तमान विनियामक ढांचे की चुनौतियाँ

- **खंडित विनियामक प्राधिकरण**: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत, दवा कंपनियाँ राज्य-स्तरीय लाइसेंस के आधार पर पूरे भारत में अपने उत्पाद बेच सकती हैं। इसका मतलब है कि:
  - एक राज्य में लाइसेंस प्राप्त दवा कंपनी अन्य राज्यों के दवा विनियामकों के निरीक्षण के बिना अपनी दवाओं को पूरे देश में वितरित कर सकती है।
  - कर्नाटक जैसे राज्यों के पास अन्य राज्यों में निर्मित घटिया दवाओं की बिक्री को रोकने का अधिकार नहीं है, जिसके कारण उनके बाजारों में NSQ उत्पादों की बाढ़ आ गई है।
  - **उदाहरण के लिए,** कर्नाटक की दवा प्रयोगशालाओं के डेटा से पता चलता है कि तीन वर्षों में परीक्षण किए गए 894 नमूनों में से, 601 नमूने (लगभग 67%) जो गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे, वे कर्नाटक के बाहर के निर्माताओं से आए थे। यह दवा गुणवत्ता आश्वासन के लिए बाहरी राज्यों पर महत्वपूर्ण निर्भरता को दर्शाता है।
- **अकुशल कानूनी उपाय:** राज्य प्राधिकारियों के पास उपलब्ध प्राथमिक कानूनी उपाय NSQ दवाओं के निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाना है। हालाँकि:
  - आपराधिक मामलों को निपटाने में वर्षों लग सकते हैं, इस दौरान अपराधी कंपनी बिना किसी बाधा के अपना परिचालन जारी रख सकती है।
  - केवल गृह राज्य के औषधि निरीक्षकों को ही विनिर्माण लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का अधिकार है, जिससे हानिकारक उत्पादों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सीमित हो जाती है।
- **सूचना साझा करने का अभाव:** वर्तमान में दवा परीक्षण परिणामों या निरीक्षण रिपोर्टों के लिए कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है, जो प्रभावी विनियामक निरीक्षण में बाधा डालता है। ऐसी प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण:
  - राज्य निरीक्षकों और खरीद एजेंसियों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर दवा निर्माताओं की गुणवत्ता और इतिहास को सत्यापित करने में कठिनाई।
  - खरीद संबंधी निर्णय प्रायः स्वतंत्र सत्यापन के बिना केवल निर्माताओं के दावों पर निर्भर होते हैं।

प्रस्तावित समाधान

- **सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना:** निम्नलिखित के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करना:
  - सभी केंद्रीय एवं राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त औषधि परीक्षण परिणाम।
  - विभिन्न राज्यों के निर्माताओं की निरीक्षण रिपोर्ट और लाइसेंसिंग विवरण।
  - **फ़ायदे**:
    - दवा निरीक्षकों और खरीद अधिकारियों को दवा कंपनियों के इतिहास पर नज़र रखने में मदद करता है।
    - जोखिम-आधारित प्रवर्तन और खरीद निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
    - **उदाहरण**: इससे महाराष्ट्र जैसे घोटाले से बचने में मदद मिलेगी, जहां एक सार्वजनिक अस्पताल को नकली एंटीबायोटिक दवाएं बेच दी गई थीं।

  - **कर्नाटक राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड (KSMSCL)** जैसी खरीद एजेंसियां दवा कंपनियों के पूर्ववृत्त को सत्यापित करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग कर सकती हैं।
- **ब्लैकलिस्ट रजिस्टर बनाना:** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को NSQ दवाओं की आपूर्ति के लिए ब्लैकलिस्ट की गई दवा कंपनियों का एक केंद्रीय रजिस्टर बनाना चाहिए।
  - **लाभ**: खरीद एजेंसियों को अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने और उनसे निपटने से बचने में मदद मिलती है।
- **राज्यों को विनियामक शक्तियों से सशक्त बनाना:** राज्यों को गंभीर प्रतिकूल औषधि घटनाओं के लिए जांच के अंतर्गत आने वाले राज्य के बाहर के निर्माताओं को रोकने की अनुमति देना।
  - विनिर्माताओं को बिक्री पुनः शुरू करने से पहले सुधार साबित करना चाहिए।
- **संशोधन**: **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940**, जो कि केन्द्रीय कानून है, में संशोधन की आवश्यकता है।
  - विधायी सुधार की पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए, तथा कर्नाटक ऐसे उपायों का समर्थन करे।

प्रस्तावित सुधारों का प्रभाव

- सख्त प्रवर्तन के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में वृद्धि।
- केएसएमएससीएल जैसी खरीद एजेंसियों के लिए बेहतर निर्णय लेने की क्षमता।
- बाजार से अविश्वसनीय दवा कम्पनियों को बाहर करना।
- भारत में औषधि निर्माण और वितरण के लिए अधिक मजबूत एवं पारदर्शी नियामक ढांचा सुनिश्चित करना।

स्रोत: द हिंदू: राज्य और खराब तरीके से निर्मित दवाओं का खतरा

UPI का उदय और बाजार में द्वैधाधिकार की चुनौतियां

संदर्भ

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने 2016 में अपने लॉन्च के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है।

UPI का विकास और सफलता

- **प्रमुख आंकड़े:** भारत में 10 में से लगभग 8 डिजिटल लेनदेन UPI के माध्यम से होते हैं।
  - अकेले अगस्त 2024 में, UPI लेनदेन कुल ₹20.60 लाख करोड़ से अधिक था।
- **उपलब्धियां:** UPI ने डिजिटल भुगतान में जनता का विश्वास काफी बढ़ाया है, विशेष रूप से कम डिजिटल साक्षरता वाले नकदी-निर्भर देश में।
  - UPI की पहुंच अभी 30% आबादी तक है, तथा शेष 70% को भी इसमें शामिल करने की गुंजाइश है।

UPI में बाजार संकेन्द्रण

- **प्रमुख TPAP (तृतीय-पक्ष ऐप प्रदाता):**
  - **फोनपे (वॉलमार्ट के स्वामित्व में):** 48.36% बाजार हिस्सेदारी।
  - **गूगल पे:** 37.3% बाजार हिस्सेदारी।
    - संयुक्त रूप से, इन दोनों का UPI बाज़ार के 85% से अधिक पर नियंत्रण है।
  - **पेटीएम:** सिर्फ 7.2% बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरी सबसे बड़ी कंपनी।
- **निहितार्थ:** UPI पारिस्थितिकी तंत्र एक महत्वपूर्ण द्वैधाधिकार का सामना कर रहा है, जिसमें दो विदेशी स्वामित्व वाले खिलाड़ियों (वॉलमार्ट द्वारा फोनपे और गूगल द्वारा गूगल पे) का प्रभुत्व है।

द्वैधाधिकार से जुड़े जोखिम

- **प्रणालीगत भेद्यता:** चूंकि अधिकांश UPI लेनदेन सिर्फ दो ऐप (फोनपे और गूगल पे) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए उनमें से किसी में भी कोई समस्या पूरे डिजिटल भुगतान प्रणाली को बाधित कर सकती है।
- **प्रतिस्पर्धा और नवाचार में कमी:** इन बड़ी कंपनियों के पास इतने अधिक उपयोगकर्ता हैं कि छोटी कंपनियां उनके पैमाने की बराबरी नहीं कर सकती हैं।
  - UPI लेनदेन के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क नहीं लेता है, इसलिए ऐप्स मुख्य रूप से अधिक उपयोगकर्ताओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
  - बड़े ऐप्स इस लाभ का उपयोग अन्य वित्तीय उत्पादों (जैसे ऋण या बीमा) को बेचने के लिए करते हैं।
  - चूंकि बड़े कर्ता पहले से ही बाजार को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उनके पास सुधार करने या नए विचारों के साथ आने के लिए ज्यादा प्रेरणा नहीं होती है, जिससे प्रणाली स्थिर हो जाती है।
- **विदेशी प्रभुत्व:** दोनों शीर्ष ऐप्स विदेशी कंपनियों के स्वामित्व में हैं।
  - इस बात का खतरा है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है या विदेशी संस्थाओं द्वारा उस तक पहुंच बनाई जा सकती है।
  - भारतीय डेवलपर्स और कंपनियों के पास इन वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर धन नहीं है। इससे भारत के लिए घरेलू ऐप्स को बाज़ार में अग्रणी बनाना मुश्किल हो जाता है।

विनियामक प्रयास और विलंब

- **मार्केट शेयर कैप नीति (2020):** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने TPAP के लिए बाजार हिस्सेदारी पर 30% कैप का प्रस्ताव रखा, जिसके कार्यान्वयन के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है।
    - इस समय सीमा को बार-बार बढ़ाया गया है।
- **वर्तमान बाजार वास्तविकता (2024):** प्रमुख TPAP भारी नियंत्रण बनाए रखेंगे, जिसमें फोनपे और गूगल पे मिलकर 85% बाजार हिस्सेदारी रखेंगे।
    - रिपोर्टों से पता चलता है कि NPCI इस सीमा को 30% से बढ़ाकर 40% कर सकता है, जिससे द्वैधाधिकार और मजबूत हो जाएगा।

चुनौतियों से निपटने के लिए सिफारिशें

- **बाजार हिस्सेदारी की सीमा लागू करें:** समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30% की सीमा लागू करें।
- **भारतीय डेवलपर्स को समर्थन:** भारतीय TPAP को प्रतिस्पर्धा और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन और अनुकूल परिस्थितियां बनाएं।
- **सार्वजनिक विश्वास पर ध्यान:** सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और UPI की भविष्य की क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है।

स्रोत: **द हिंदू: UPI द्वैधाधिकार का उदय और बाजार की कमजोरियां**